AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 व अनुच्छेद 25 से 30 के आलोक में एक आलोचनात्मक अध्ययन

ORIGINAL ARTICLE

Author
लेखराज
एलएल.एम. (सत्र–2024–25)
शा.जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय
रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

यह शोध पत्र छत्तीसगढ़ विधानवभा द्वारा हाल ही में पारित ''छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026'' का एक गहन कानूनी और संवैधानिक विश्लेषण है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य जबरन, कपटपूर्वक या प्रलोभन के माध्यम से होने वाले धर्मान्तरण को रोकना है। हालांकि, यह कानून भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतन्त्रता और अनुच्छेद 29) अल्पसंख्यकों के हित, के साथ, एक जटिल द्वंद् पैदा करता है। यह शोध पत्र कानून के कड़े प्रावधानों, जैसे आजीवन कारावास और ''पूर्व घोषणा'' की अनिवार्यता की समीक्षा करता है तथा मुख्य ध्यान इस बात पर है कि क्या यह अधिनियम अनुच्छेद 25 (अन्तःकरण की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 29 (अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण) के साथ सामंजस्य बिठाता है या उनका उल्लंघन करता है।

मुख्य शब्द

धर्म स्वातंत्र्य, अल्पसंख्यक, अनुच्छेद 25–30.

प्रस्तावना

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने का मौलिक अधिकार है। छत्तीसगढ़ जैसे विविधतापूर्ण राज्य में, धर्मान्तरण एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। राज्य सरकार ने ''अवैध धर्मान्तरण'' को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए हैं, लेकिन कानूनी गलियारों में बहस इस बात पर है कि क्या ये कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राज्य के नियंत्रित के बीच की रेखा को धुंधला कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 इसी संदर्भ में बनाया गया है, जिसका उद्देश्य है:

- जबरन धर्मान्तरण रोकना।
- धोखाधड़ी से किए गए धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करना।
- सामाजिक शांति बनाए रखना।

परन्तु यह अधिनियम कई प्रश्न खड़े करता है?

क्या यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन करता है?

क्या यह अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है?

क्या राज्य को धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करने का अधिकार है?

संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 25 सभी व्यक्तिफयों को लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए अन्तःकरण की स्वतन्त्रता धर्म

के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देता है परन्तु छत्तीसगढ़ अधिनियम के तहत धर्मान्तरण से पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देना और अनुमति लेना अनिवार्य है।

आलोचनात्मक बिंदु: क्या पूर्व अनुमति लेना व्यक्तिक्तगत अन्तःकरण (Conscience) की स्वतंत्रता का उल्लंघन है? 'रेव. स्टेनिसलोस' केस के अनुसार, प्रचार में जबरन धर्मान्तरण शामिल नहीं है, लेकिन 'स्वेच्छा' से धर्मान्तरण पर प्रशासनिक नियंत्रण निजता के अधिकार (अनुच्छेद 21) पर भी सवाल उठाता है।

अनुच्छेद 26 और 29 संस्थागत और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार देता है।

आलोचनात्मक बिंदु: यदि कोई अल्पसंख्यक समुदाय अपने धार्मिक विश्वासों का प्रसार करता है, तो क्या उसे 'प्रलोभन' की श्रेणी में रखकर दंडित किया जा सकता है? अधिनियम में 'प्रलोभन' की परिभाषा इतनी व्यापक है कि यह परोपकारी कार्यों (जैसे शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा) को भी संदिग्ध बना सकती है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

ब्रिटिश काल में (स्वतंन्त्रता से पूर्व)

ब्रिटिश शासन के दौरान, पूरे भारत के लिए कोई एक केंद्रीय धर्मान्तरण कानून नहीं था हालांकि, कई हिंदू रियासतें (Princely States) अपने धार्मिक रीति–रिवाजों की रक्षा के लिए कानून लाई थीं जिसमे 1930 और 1940 के दशक में रायगढ़, पटना, सरगुजा, उदयपुर और जोधपुर जैसे रियासतों ने धर्मान्तरण को विनियमित करने के लिए नियम बनाए थे। इनका मुख्य उद्देश्य हिंदू पहचान को संरक्षित करना और ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को सीमित करना था।

स्वतंन्त्रता के बाद और संवैधानिक सभा

संविधान निर्माण के दौरान अनुच्छेद 25 पर संविधान सभा ने व्यापक चर्चा के बाद 'अन्तरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के स्वतंत्र पेशे, अभ्यास और प्रचार' के अधिकार को मौलिक अधिकार (Fundamental Right) के रूप में स्वीकार किया। 1954 में 'भारतीय धर्मान्तरण (विनियमन और पंजीकरण) विधेयक' और 1960 में 'पिछड़ी जाति (धार्मिक संरक्षण) विधेयक' जैसे केंद्रीय कानून लाने के प्रयास संसद में किए गए, लेकिन भारी विरोध और स्पष्ट बहुमत न होने के कारण इन्हें पारित नहीं किया जा सका।

राज्य–स्तरीय कानूनों का उदय (एंटी–कन्वर्जन लॉ)

चूँकि केंद्र स्तर पर कोई कानून नहीं बन सका, कई राज्यों ने अपने स्वयं के 'धर्म स्वतंत्रता अधिनियम' (Freedom of Religion Acts) पारित किए। इन्हें अक्सर ''धर्मान्तरण विरोधी कानून'' कहा जाता है। इसमें अग्रणी राज्य है ओड़िसा (1967) देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ बल, प्रलोभन, और धोखाधड़ी कर धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने हेतु अधिनियम लाया गया। मध्यप्रदेश, गुजरात, अरूणांचलप्रदेश, हिमाचलप्रदेश, झारखण्ड, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा और अब छत्तीसगढ़ इसमें कठोर कानूनी प्रावधान लाने वाला राज्य बन गया है।

नए कानून (2026) की मुख्य विशेषताएं

नया कानून 1968 के अधिनियम की तुलना में अधिक कड़ा है अवैध धर्मान्तरण के मामलों में 7 से 10 वर्ष तक की कारावास और 5 लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान है।[1]

- **पंजीकरण की अनिवार्यता:** धर्मांतरण कराने वाले व्यक्तियों/संस्थानों के लिए भी सूचना व आय–व्यय का ब्यौरा देना अनिवार्य है।
- **विशेष वर्ग:** यदि पीड़ित नाबालिक, महिला, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) या अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से है, तो सजा 10 से 20 वर्ष की कारावास और 10 लाख रूपये तक जुर्माना का प्रावधान है।
- **सामूहिक धर्मान्तरण:** सामूहिक धर्मान्तरण (दो या दो से अधिक व्यक्ति) के लिए 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और कम से कम 25 लाख रूपये जुर्माने का प्रावधान है।
- **सूचना की अनिवार्यता:** धर्म परिवर्तन की इच्छा रखने वाले व्यक्तिफ को कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट (DM) या सक्षम प्राधिकारी को सूचना देनी होगी।[2]
- धर्मांतरण के पश्चात सक्षम प्राधिकारी को घोषणा।[3]

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 की आलोचनात्मक समीक्षा

- **DM की पूर्व अनुमतिः** स्वेच्छा से धर्म बदलने वाले व्यक्तिफ के लिए 60 दिन पूर्व सूचना का प्रावधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को चुनौती देता है।
- **कठोर दण्ड का प्रावधानः** भारत में अन्य अपराधों ;जैसे गैर–इरादतन हत्या, की तुलना में सामूहिक धर्मान्तरण के लिए 'आजीवन कारावास '' का प्रावधान इसे देश के सबसे कठोर कानूनों में से एक बनाता है। क्या एक आध्यात्मिक बदलाव के लिए इतनी कठोर सजा 'अनुपातिकता के सिद्धांत (Principle of Proportionality) पर खरी उतरती है।
- **सबूत का भार[4]:** आमतौर पर अपराधिक कानून में निर्दोषता का अनुमान लगाया जाता है और 'अभियोजन' (Prosecution) को दोष सिद्ध करना होता है, लेकिन यहाँ आरोपी को साबित करना होगा कि धर्मान्तरण अवैध नहीं था। यह अनुच्छेद 14 (समानता) और अनुच्छेद 21 के सिद्धांतों के तथा कानूनी न्यायशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है।
- **पुनर्वापसी या घर वापसीः** क्या अपने 'पूर्व धर्म' में लौटना भी धर्मान्तरण है? अधिनियम इस पर छूट देता है, जिसे भेदभावपूर्ण माना जा सकता है। अधिनियम में 'पूर्वजों के धर्म' में वापसी को छूट देना समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) पर प्रश्नचिन्ह लगाता है। यह कानून को एकतरफा झुकाव देता है, जहाँ एक तरफ के धर्मान्तरण को अपराध और दूसरी तरफ को 'शुद्धीकरण' माना जाता है। अनुच्छेद 25 के तहत 'धर्म के प्रचार' और राज्य कानूनों के तहत 'प्रलोभन' की परिभाषाओं के बीच कानूनी अस्पष्टता।

न्यायिक दृष्टिकोण (Case Laws)

1. **रेव. स्टेनिसलोस बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य AIR 1977 SC 908:** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार में 'धर्मान्तरण' का अधिकार शामिल नहीं है, बल्कि केवल प्रचार का है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत 'धर्म के प्रचार' के अधिकार में किसी दूसरे व्यक्ति को अपने धर्म में परिवर्तित करने का मौलिक अधिकार शामिल नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी को जबरन धर्मान्तरित करता है, तो यह दूसरे व्यक्ति की 'अन्तरात्मा की स्वतंत्रता' (Freedom of Conscience) का उल्लंघन है। इसी फैसले के साथ मध्य प्रदेश और उड़ीसा के धर्मान्तरण विरोधी कानूनों को वैध ठहराया गया था।
2. **सरला मुदगल एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य AIR 1995 SC 1531:** यह केस मुख्य रूप से दूसरी शादी करने के उद्देश्य से किए गए धर्म परिवर्तन से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि यदि कोई हिंदू पुरूष अपनी पहली शादी को खत्म किए बिना केवल दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाता है, तो उसकी दूसरी शादी अवैध होगी। कोर्ट ने इसे 'धोखाधड़ी' माना और कहा कि धर्म परिवर्तन का उपयोग कानूनी दायित्वों से बचने के लिए नहीं किया जा सकता।
3. **हान्दिया केस (शफीन जहां बनाम अशोकन के.एम.) (2018) AIR 2018 SC 1933:** यह मामला बालिग व्यक्ति की अपनी पसंद से धर्म बदलने और शादी करने की स्वतंत्रता पर केन्द्रित है। केरल हाई कोर्ट ने हान्दिया (अखिला) की शादी को रद्द कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि एक बालिग व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का पूर्ण अधिकार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता के अधिकार में यह शामिल है कि कोई व्यक्ति किस धर्म का पालन करना चाहता है।
4. **लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2000) AIR 2000 SC 1650:** इस मामले में सरला मुदगल केस के फैसले को और स्पष्ट किया गया। कोर्ट ने कहा कि बिना सच्चे विश्वास के, केवल कानूनी लाभ लेने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य है और ऐसे मामलों में 'द्विविवाह' (Bigamy) के लिए सजा दी जा सकती है।
5. **के. एस. पुट्टावस्वामी बनाम भारत संघ (2017)[5]:** इस निर्णय ने 'निजता' को मौलिक अधिकार माना। धर्म का चुनाव व्यक्ति की निजता का हिस्सा है, जिसमें राज्य का अत्यधिक हस्तक्षेप असंवैधानिक हो सकता है।
6. **सलामत अंसारी बनाम उत्तरप्रदेश राज्य (2020)[6]:** इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय, जिसमें व्यक्तिगत पसंद और निजता पर जोर दिया गया।

निष्कर्ष

अवैध और जबरन धर्मान्तरण को रोकना राज्य की जिम्मेदारी है, लेकिन कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो मौलिक अधिकारों का गला घोंट दे। छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 एक दोधारी तलवार की तरह है। एक ओर जहाँ यह धोखाधड़ी और जबरन धर्मान्तरण को रोकने का वैधानिक ढांचा प्रदान करता है, वहीं दूसरी ओर यह अनुच्छेद 25 द्वारा प्रदत्त व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 29 के अल्पसंख्यक हितों के साथ सीधे टकराव की स्थिति में दिखता है। अध्ययन का सारांश यह है कि लोक व्यवस्था (Public Order) के नाम पर राज्य को धर्म के व्यक्तिगत क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार तो है, लेकिन यह हस्तक्षेप 'तार्किकता' (Reasonableness) की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। लोक व्यवस्था बनाये रखना राज्य का दायित्व है लेकिन यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं होना चाहिए। यदि कानून का क्रियान्वयन पक्षपतापूर्ण होता है, तो यह भारतीय लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्ष ताने–बाने को कमजोर कर सकता है। न्यायपालिका की भूमिका इस अधिनियम की व्याख्या में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होगी ताकि सुरक्षा और स्वतन्त्रता के बीच संतुलन बना रहे।

सुझाव

- 'प्रलोभन' और 'बल' की परिभाषा अधिक स्पष्ट होनी चाहिए।
- प्रशासनिक अनुमति के बजाय 'सूचना' पर्याप्त होनी चाहिए ताकि दुरुपयोग की गुंजाइश कम हो।
- न्यायिक सदस्य की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार का प्रशासनिक दमन न हो सके।
- पुलिस जांच की समय सीमा निश्चित होना चाहिए ताकि प्रशासनिक विलंब व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बाधा न बन सके।
- **सबूत का भारः** न्याय शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार यदि इसे एक और अधिक संतुलित बनाया जाए जहां प्रारंभिक साक्ष्य राज्य द्वारा दिया जाए, तो यह अधिक न्याय संगत होगा।
- सामंजस्य का आधार आनुपातिकता का सिद्धांत होना चाहिए अर्थात् राज्य का हस्तक्षेप केवल उतना ही हो जितना की अवैध कार्यों को रोकने के लिए अनिवार्य है।

संदर्भ सूची

1. रेव. स्टेनिसलोस बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य AIR 1977 SC 908.
2. सरला मुदगल एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य AIR 1995 SC 1531.
3. हदिया (शफीन जहां बनाम अशोकन के.एम.) (2018) AIR 2018 SC 1933.
4. लिली थॉमस बनाम भारत संघ (2000) AIR 2000 SC 1650.
5. के.एस. पुट्टावस्वामी बनाम भारत संघ (2017)।
6. सलामत अंसारी बनाम उत्तरप्रदेश राज्य (2020)।
7. भारत का संविधान (अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, 29)।
8. छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026।

––==00==––